SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

INT	HE COURT OF A.K. Gupt			
Case No. 15611	7	Complaint or report m	adeon	
Name and address of the	Name, parentage, case **Transport **Transp	भाग्य काक्त्र भाग्य काक्त्र भाग्य काक्त्र	SIO sed BIO	28(
	he offence, complainant of			Imel
कार कार्य जिल्हा	पर आरोप है हार हार करके आपने आबकारी उ	कि दिनांक पर रि असाब विक	9/8/// बेना वैध अनुज्ञप्ति य/परिवहन हेतु रर्ख	11
अपराध कारित किय	क्या आपको उक्त अपर	राध स्वीकार है या प्रति	तरक्षा चाहते हो।	नि गृप्ता
	न्यून दण्ड से दण्डित करने	का निवेदन है। जीवा	A Inhama	भागव प्राप्त क्षण
			SELLIOI &	-0

//निर्णय//

(आज दिनांक 22 \ 8 17 को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की घारा 34–1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये 1000/शब्दों में २३००० इफाट ६००० रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ००००० का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
 - 04. जप्तशुदा सम्पत्ति ३२ लीटर/पाव/बोतल ३३ शराब शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार अपील की जावे। अपील हो। की भा में मानव अपील न्यायालय के आदेश का

गायिक मिजम्दे र प्रवास मा